कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/37/2021/4063 दिनांक: 29/09/2026

–:: आदेश ::–

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांकित 16.03.2023 व 24.05.2023 के क्रम में इस कार्यालय के पदोन्नति आदेश क्रमांक स्था./09/2022/225 दिनांक 11.01.2024 के अनुसार पदोन्नति पद पर कर्मचारी द्वारा पूर्व में वेतनस्थिरीकरण नहीं कराने के लेखाशाखा के आक्षेप के क्रम में श्री बलवीर सिंह जोधा **को लिपिक ग्रेड–II से रीडर/शरिस्तेदार ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के पद पर दिनांक 16.12.2023 से पदोन्नति दी जाने के फलस्वरूप** उक्त कर्मचारी का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–8 (पूर्व वेतनमान PB1 5200-20200 में ग्रेड पे–2800/–) के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पद व न्यायालय का नाम	पदोन्नति से पूर्व धारित पद व उक्त पद पर आहरित वेतन	पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक व उक्त पद पर वेतन स्थिरीकरण पर मूल वेतन व आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
1	2	3	4
1	**श्री बलवीर सिंह जोधा** **शहरिश्तेदार/रीडर ग्रेड–III/लिपिक–I** **न्यायालय:–** सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 13, जयपुर महानगर–II **रीडर ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति दिनांक 16.12.2023**	लिपिक ग्रेड–II दिनांक 01.07.2023 को 34300/– (L-5)	**12.01.2024** दिनांक 16.12.2023 से नोशनल/काल्पनिक लाभ देय हैं
			36400/–(L-8)16.12.2023 से **काल्पनिक** एवं उक्त मूलवेतन का लाभ पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक 12.01.2024 से देय होगे।
			कर्मचारी को **काल्पनिक** रूप से **वेतनवृद्वियां** दिनांक.....**01.07.2024**.....से.....**01.07.2026**.....तक देय होगी एवं उक्त काल्पनिक वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे/ **वित्तीय लाभ दिनांक:–**.....**01.07.2027**..... से देय होगें।
			आगामी वेतनवृद्वि दिनांक 01.07.2024 **नोशनल(काल्पनिक)**

नोट:–

1. उपरोक्तानुसार श्री बलवीर सिंह जोधा की पदोन्नति शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड– III/लिपिक ग्रेड–I के पद पर राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक सं.एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट दिनांकित 16.03.2023 व 24.05.2023 के अनुसार की जाने पर वित्तीय लाभ निम्नानुसार देय होगें:–
 - श्री जोधा को दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 01.07.2026 तक वार्षिक वेतनवृद्वियां काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें दिनांक 01.07.2027 से ऐसी वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञय/देय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्वियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
 - श्री जोधा की उपरोक्तानुसार पदोन्नति दिनांक 16.12.2023 से किये जाने पर इन्हे उक्त दिनांक 16.12.2023 से ही **मूलवेतन रूपये 36400/– के आधार पर काल्पनिक लाभ एवं दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 30.06.2027 तक समस्त वित्तीय लाभ देय होगे।**
 - श्री जोधा को उपरोक्तानुसार पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना No.F.15(1)/FD/Rules/2017 Part II दिनांक 26.07.2023 के अनुसार पदोन्नति पर आगामी पे–लेवल में उच्चतर सैल में वेतन निर्धारित किया गया हैं।
 - यदि श्री जोधा को पदोन्नति दिनांक 16.12.2023 को किये गये वेतनस्थिरीकरण (मूलवेतन 36400/–) अनुसार उनके पदोन्नति पर कार्यभार की दिनांक 12.01.2024 को देय मूलवेतन से अधिक मूलवेतन से यदि आगामी तीन किसी वर्षों में वित्तीय लाभ अथवा अधिक वेतन का भुगतान किया गया हैं, तो उसकी नियमानुसार **वसूली की जावें एवं मूलवेतन कम होने की स्थिती में एरियर का भुक्तान किया जावें।**
 - श्री जोधा को उपरोक्तानुसार वेतनवृद्वियों का वास्तविक/वित्तीय लाभ दिनांक 01.07.2027 से देय होगां।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय
दिनांक : 29/09/2026

क्रमांक : स्था0/37/2021/4064

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. संबंधित न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय। (संलग्न सेवापुस्तिकाएं)
4. संबंधित कर्मचारी
5. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्र आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

29/9/26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय